बलरामपुर पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

श्रीदत्तगंज पुलिस ने दो वारंटियों को किया गिरफ्तार, न्यायालय भेजा

पायनियर, श्रीदत्तगंज (बलरामपुर)। श्रीदत्तगंज पुलिस ने न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के तहत अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे दो वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय भेज दिया। पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय और क्षेत्राधिकारी उतरौला डॉ. जितेंद्र कुमार के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश देकर सहजाद पुत्र नसरत अली निवासी चेवई खुर्द और मसूद खान उर्फ नूरी पुत्र स्वर्गीय अतीक अहमद निवासी चमरूपुर को गिरफ्तार किया।

श्रीदत्तगंज पुलिस ने दो वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा

बलरामपुर। श्रीदत्तगंज थाना पुलिस ने विभिन्न आपराधिक मामलों में न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के तहत दो वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय रवाना कर दिया। पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह के निर्देश पर वांछितों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय और क्षेत्राधिकारी उतरौला डॉ. जितेंद्र कुमार के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष योगेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रविवार को दोनों वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में सहजाद पुत्र नसरत अली निवासी चेवई खुर्द शामिल है। उसके विरुद्ध वर्ष 2012 के मामले में मारपीट, घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने से संबंधित धाराओं में गैर जमानती वारंट जारी था। वहीं दूसरे आरोपी मसूद खान उर्फ नूरी पुत्र स्वर्गीय अतीक अहमद निवासी चमरूपुर के विरुद्ध वर्ष 1999 के मामले में मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने से संबंधित धाराओं में वारंट जारी था। गिरफ्तारी करने वाली टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक रामधारी दिनकर, उपनिरीक्षक आदित्य कुमार, कांस्टेबल पंकज कुमार और कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार शामिल रहे।